न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री **श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)**

वाद पत्र सं0 : 374 सन 2017

अनवान :—

1. सफी महोम्मद पुत्र श्री हबीबखां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. नानकराम 4. लाधुराम 5. दुनीराम 6. मेहरचन्द पि0 मुलाराम जाति जाट निवासी कानेवाला तहसील मानसा पंजाब।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक 5/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 ,188 के अन्तर्गत वाद इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 100/41144 के प0न0 319/416(22) के किला न0 9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 कुल 1.012हैक्ट बारानी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी के पास किला न0 9 प्रतिवादी संख्या 1 के पास किला न0 12 प्रतिवादी संख्या 2 के पास किला न0 10 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पास किला न0 11 की भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता मुश्तरका दर्ज है जिससे आपस में सीव लगान का तनाजा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये है इसलिये यह दावा पेश किया गया है।

वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 को विधिवत रजिस्टर सम्मन की तामिल होने के उपरानत भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

012हैक्‍ट बारानी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी के पास किला न0 9 प्रतिवादी संख्या 1 के पास किला न0 12 प्रतिवादी संख्या 2 के पास किला न0 10 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पास किला न0 11 की भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता मुश्तरका दर्ज है जिससे आपस में सीव लगान का तनाजा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाना उचित है।

हमने उभयक्षों की बहस सुनी जाकर उभयपक्षों को सुनवाई /साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाने का अधिकारी है वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में अपने पत्रांक 890 दिनांक 14.03.2019 को तजबीज तकसीम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तजबीज तकसीम की रिपोर्ट विधि सम्मत है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सफी महोम्मद पुत्र हबीबखां जाति अराई मुसलमान साकिन ढाणी अराईयान खातेदार रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 107/100 के प0न0 319/416(22) किला न0 9/0.253हैक्‍ट , नानकराम , लाधुराम दुनीराम मेहरचन्द पि0 मुलाराम जाति जाट साकिन कानेवाला तहसील मानसा पंजाब खातेदार रोही मौजा चक 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 11/0.2530हैक्‍ट जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जसाना खातेदार रोही मोजा 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 10/0.2530हैक्‍ट व रामजीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन ढाणी अराईयान खातेदार रहन एक्सीस बैक शाखा नोहर रोही मौज चक 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 12/0.253हैक्‍ट भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/–रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

अनवान :—

1. सफी महोम्मद पुत्र श्री हबीबखां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

2. जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

3. नानकराम 4. लाधुराम 5. दुनीराम 6. मेहरचन्द पि0 मुलाराम जाति जाट निवासी कानेवाला तहसील मानसा पंजाब।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 374 सन 2017 निर्णय दिनांक 5/3/2020

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 107/100 के प0न0 319/416(22) किला न0 9/0.253हैक , नानकराम , लाधुराम दुनीराम मेहरचन्द पि0 मुलाराम जाति जाट साकिन कानेवाला तहसील मानसा पंजाब खातेदार रोही मौजा चक 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 11/0.2530हैक जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जसाना खातेदार रोही मोजा 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 10/0.2530हैक व रामजीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन ढाणी अराईयान खातेदार रहन एक्सीस बैक शाखा नोहर रोही मौज चक 28 एनटीआर के प0न0 319/416(22) किला न0 12/0.253हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/—रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)